जारी/स०क०-2
30/6/10

संख्या–570/26--ब0प्र0--2010एस0एन0डी0(144)/2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

जारी
30-6-10

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक30 जून, 2010

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को प्रभावी ढ़ंग से संचालन किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के लिये समर्पित सर्वर एंव सिस्टम साफ्टवेयर, कम्प्यूटरीकरण के विकास एवं तकनीकी सर्पोट हेतु प्रोग्रामर, विकसित किये जा रहे साफ्टवेयर के आंतरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में तथा शासनादेश संख्या–495/26–ब0प्र0–2010–एस0एन0डी0(144)/2010 दिनांक 09.06.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को प्रभावी ढ़ंग से संचालन किये जाने हेतु राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ द्वारा समर्पित सर्वर एंव सिस्टम साफ्टवेयर, कम्प्यूटरीकरण के विकास एवं तकनीकी सर्पोट हेतु प्रोगामर, विकसित किये जा रहे साफ्टवेयर के आंतरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु रू0 22.50 लाख का आगणन उनके पत्रांक–एन0आई0सी0(यू0पी0एस0यू0)/महामाया/2010/37 दिनांक 12.4.2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 22.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ रू0 22,50,000/– (रूपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था रू0 200.00 करोड़ में से मानक मद–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखते हैं:–

1.निदेशक, समाज कल्याण, स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु भारत सरकार, संचार एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उत्तर प्रदेश राज्य एकक, योजना भवन, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे|

2.धनराशि के आहरण/व्यय में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये, इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। व्यय निर्धारित

मानक एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाये।

2. उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्यय में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार लेखा शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना–00–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान–के नामे डाला जायेगा और उक्त योजना के लिये की गयी 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–की मद में उपलब्ध बजट व्यवस्था से संलग्न पुर्नविनियोग द्वारा वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–10?/दस–2010 दिनांक 18 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–बी0एम0–15

सहमत
(प्रसाद कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव, वित्त

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव

संख्या–570(1)/26–ब0प्र0–2010–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. ~~समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)~~
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं 2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

9/6/2010

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
वित्तीय वर्ष 2010–11

अनुदान संख्या व नाम–अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग
(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

प्रपत्र–बी0एम0–15
(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 05–उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना– 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–	1964500	2250	2250	2250	1962250
योग–					

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	स्कमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 05–उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना– 00– 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	00	2250	2250	2250	2250
योग–					

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या–आर0ई0–642/ई–3– /दस–2010, दि0 17 जून, 2010
पु0–02/26-ब0प0-2010 — 30-6-10

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(भवनाथ)
विशेष सचिव,
समाज कल्याण विभाग

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग

संख्या– 570 (1)/26–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

7. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
11. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग

22 आ॰ रु॰ 9/6/2010